न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 13/2020 (राजसमन्द आर्डर)

1. मोहनलाल पिता स्वर्गीय श्री पृथ्वीराज उर्फ परथा जी सेवग, निवासी आकोदडा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती सुन्दर बाई पत्नी स्वर्गीय श्री पृथ्वीराज उर्फ परथा जी सेवग, निवासी आकोदडा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

मिटठालाल पिता श्री चुन्नीलाल शर्मा (ब्राहमण), निवासी रूपनारायण मंदिर के पास, आकोदडा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा प्रकरण संख्या 56/2016 दिनांक 12.02.2020

---/---

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री एस. एल. लढ्ढा अभिभाषक अपीलान्टगण

---::---

निर्णय **दिनांक 13–09–2022**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम आकोदडा में आराजी नंबर 528 रकबा 10 बिस्वा एवं 529 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 12 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 210 है। उक्त आराजियात गत भू–प्रबन्ध में पृथ्वीराज, तोलाराम और रामा के नाम 2/3 हिस्सा एवं नन्दा उर्फ नन्दराम पिता किशना 1/3 हिस्से से दर्ज थी। नन्दा का 1/3 हिस्सा उसके स्वर्गवास हो जाने के बाद उसके पुत्र भूरालाल ने विकय पत्र संवत् 2019 को स्टाम्प पर निष्पादित कर प्रार्थीगण के पूर्वधिकारी पृथ्वीराज उर्फ परथा जी को 30/– रूपये में विकय कर दी। तब से उक्त आराजियात पर प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। नन्दा की पत्नी कंकू, पुत्र भूरालाल व भूरालाल की पत्नी पीथु की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार नन्दा के वारिसान में अब कोई जीवित नहीं है, किन्तु नन्दा के स्थान पर पीथु बेवा भूरालाल व कंकु बेवा नन्दा का राजस्व अभिलेखों में गलत अंकन हो गया है। उक्त भूमि प्रार्थी ने अपने नाम कराने हेतु आप न्यायालय में मुकदमा नंबर 211/2013 प्रस्तुत कर रखा है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। विपक्षी का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई स्वत्व व अधिकार नहीं है, न ही उनका कब्जा है, फिर भी वे नाजायज गिरोह बनाकर प्रार्थीगण के उक्त 1/3 हिस्से में दखलन्दाजी करते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः विपक्षी को इस आशय की जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र में अंकित उक्त भूमि में प्रार्थीगण के 1/3 हिस्से में किसी प्रकार की बाधा, उत्पन्न नहीं करें, न ही किसी अन्य से करावें।

विपक्षी ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत ... प्रति प्रार्थना पत्र ~~प्रस्तुत~~ भी प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय ने उभय ... सुनकर अपने निर्णय दिनांक 12–02–2020 से प्रार्थीगण का प्रार्थना ... प्रति प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:46:54 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 07–09–2020 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब किया गया, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के अधिवक्ता को दिनांक 23.02.2022 को नकल नहीं मिली फिर 23.02.2020 से कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन होने से अपीलान्ट लम्बे समय से कोर्ट नहीं गये। दिनांक 21.08.2020 को उन्हें नकल प्राप्त हुई। अपीलान्ट ने जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार फरमाई जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी पृथ्वीराज जी ने भूरालाल पिता नन्दा से उसका 1/3 हिस्सा संवत् 2019 में 30/– रूपये में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, तब से प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है, किन्तु राजस्व रेकार्ड में क्रेता के नाम भूमि अंकित नहीं होने से भूमि भूरालाल व उसकी पत्नी के नाम ही रह गयी। उक्त विक्रय 100/– रूपये से कम का होने से उसका पंजीयन भी आवश्यक नहीं है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में चाहा गया अनुतोष उसे दिलाया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर **AIR 1975 Kar. page 119, Raj. HC SB Civil Revisions no. 630/97, Raj. HC SB Civil Revisions no. 578/97, Raj. HC SB Civil Revisions no. 1503/1996, AIR 2011 All. page 48** प्रस्तुत की।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायाल ने अपने विवेचन में स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थी ने ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे साबित होता हो कि विवादित भूमि उनके पिता द्वारा क्रय की गयी हो। इसी प्रकार विपक्षी ने भी ऐसा कोई दस्तावेज या गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे वे नन्दा के गोद पुत्र होना साबित हो। अधिनस्थ न्यायालय का उपरोक्त विवेचन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार विधि सम्मत है, क्योंकि दोनों पक्षों द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे उनके कथनों की पुष्टि होती है। तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के विवेचन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12–02–2020 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:46:54 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner